

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

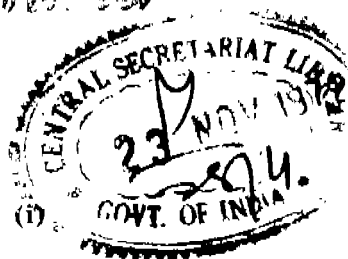
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 251] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1972/आश्विन 8, 1994

No. 251] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1972/ASVINA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 30th September 1972

G.S.R. 424(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 14 of the Vegetable Oil Products Control Order 1947, as continued in force by sub-section (2) of section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 1169, dated the 2nd July 1963, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for the entry in column 3 against the item "High-density polythene containers" in column 1, the following entries shall be substituted, namely:—

"(i) 2.0

(ii) 1.0."

[No. 17-VP(3)/71.]

S. V. SAMPATH,
Vegetable Oil Products Controller for India.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1972

मा०का०नि० 424(घ).—बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवृत्त बना हुआ है, के खण्ड 14 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) को अधिभूचना सं० मा०का०नि० 1169, तारीख 2 जुलाई, 1963 में श्रीर आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिभूचना में, अनुसूची में स्तम्भ 1 में “उच्च घनत्व पॉलीथीन आधान” मद के सामने स्तम्भ 3 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(i) “2.0

(ii) 1.0”

[सं० 17-बोपो (3)/71]

एस० बी० सम्पद,

भारत के बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक ।